सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

119

एक सौ उन्नीसवां प्रतिवेदन

[संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच) कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब]

(03.04.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) की संरचना	(iii)
प्राक्कथन	(iv)
प्रतिवेदन	
संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब	01

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता को वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान वर्षवार प्रदत्त अनुदान	09
परिशिष्ट-दो	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि दर्शाने वाला विवरण	10
परिशिष्ट-तीन	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण	11
परिशिष्ट-चार	समिति की दिनांक 20 दिसम्बर,2021 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण	14
परिशिष्ट-पांच	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	-

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

लोक सभा

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री भरत राम मारगनी
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री सेल्लापेरुमल रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री देवेन्द्रप्पा वाई
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौ उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और समिति के 12 मई, 1976 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा समिति के 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की सिफ़ारिशों के संदर्भ में, सभी सांविधिक/स्वायत्त, संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 से 2020-21 के लिए अपेक्षित दस्तावेज लगातार विलंब के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किए गए थे। समिति ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और 20 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में संस्कृति मत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता तथा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

प्रतिवेदन

संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच) का निर्माण कोलकाता में किया गया जो ब्रिटिश कालीन भारत की तत्कालीन राजधानी थी। इसका निर्माण प्रमुखत: लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से संभव हुआ जो 1899 से 1905 तक भारत के वाइसराय थे और जिनका आशय भारत-ब्रिटिश इतिहास पर विशेष बल देते हुए, इसे महारानी विक्टोरिया की स्मृति में एक युग संग्रहालय के रूप में स्थापित करना था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत वीएमएच को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया गया। वर्तमान में वीएमएच संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन है जिसमें एक न्यासी बोर्ड है जिसके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और इसमें सरकार, न्यायपालिका, शिक्षा जगत और कला जगत की प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं।

वर्तमान में वीएमएच आधुनिक भारतीय इतिहास का भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है और यह सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय भी है जिसमें प्रति वर्ष लगभग 40 लाख आगंतुक आते हैं। 2017 में, ट्रिपएडवाइजर ने वीएमएच को भारत में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले संग्रहालय तथा लोकप्रियता के संबंध में एशिया के 10 प्रमुख संग्रहालयों में से एक के रूप में मूल्यांकन किया था। अपने 57 एकड़ में फैले सुंदर बगीचों के कारण 2015 में इंडिया टुडे सफाईगिरी पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत भारत के माननीय प्रधानमंत्री की ओर से 'भारत का सबसे स्वच्छ स्मारक' पुरस्कार प्राप्त करने वाले इस संग्रहालय में समृद्ध जैव-विविधता को कायम रखा गया है। वर्ष 2021 में वीएमएच ने वीएमएच भवन के ग्रांड ईस्टर्न भाग में अपने प्रकार की पहली नवोन्नत 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग की भी शुरुआत की। वीएमएच संस्कृति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एकमात्र संग्रहालय है जिसे एक साथ तीन शीर्ष अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए- ट्रिपएडवाइजर का 'भारत में सबसे अधिक पसंदीदा संग्रहालय', लोनली प्लानेट की ओर से 'टॉप च्वाइस' और फोडोर का 'फोडोर्स च्वाइस।'

2. समिति ने मंत्रालय से उस अधिनियम, नियम या विनियम का उल्लेख करने के लिए कहा जिसके तहत इन संगठनों के कागजात संसद के सभापटल पर रखे जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) ने अपने लिखित उत्तर में बताया किः

" विक्टोरिया मेमोरियल हाल संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन है। भारत सरकार के दिनांक 17 नवम्बर, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(11)/ई.II-ए)/09 के अनुसार, प्रत्येक वित्त वर्ष के वार्षिक लेखा स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित संसद में 31 दिसम्बर तक रखे जाने चाहिए।"

3. भारत सरकार द्वारा वीएचएम को वित्त पोषण के पैटर्न के प्रश्न के संबंध में, उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के तहत संस्कृति मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसे **परिशिष्ट- एक** में दिया गया है।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति(5वीं लोक सभा) की 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत पहले प्रतिवेदन; 12 मई, 1976 को सभा में प्रस्तुत दूसरे प्रतिवेदन और 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों के संदर्भ में संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखना अपेक्षित है। इस अनिवार्यता का अनुपालन करने के लिए, वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखा परीक्षा के लिए एक उचित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए। समिति ने महसूस किया कि आम तौर पर वार्षिक लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने की अवधि पर्याप्त होगी; अगले छह महीने लेखाओं की लेखा परीक्षा, प्रतिवेदन की छपाई और इसे सभा पटल पर रखने के लिए सरकार को भेजने के लिए दिए जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश, संगठनों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभापटल पर नहीं रखा जा सका तो संबंधित मंत्रालय को उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर अथवा सभा की बैठक होते ही, जो भी बाद में हो, एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए जिसमें उन कारणों को स्पष्ट किया जाए कि दस्तावेज क्यों नहीं रखे जा सके।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा ने विक्टोरिया मेमोरियल हाल (वीएमएच), कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं की जांच की, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा संसद (लोकसभा) के पटल पर रखा गया था। इन पत्रों की जांच से पता

चला कि 2015-2016 के लिए वीएमएच, कोलकाता के अपेक्षित दस्तावेज 11 महीने 18 दिन के विलंब से दिनांक 18.12.2017 को सदन के सभापटल पर रखे गए थे। इसके बाद भी संबंधित वर्षों अर्थात 2017-2018 के लिए अपेक्षित दस्तावेज 09.12.2019 को 11 महीने 09 दिन के विलंब से और वर्ष 2018-2019 के दस्तवेजो को 13 महीने 13 दिन के विलंब से, वर्ष 2019-2020 के अपेक्षित दस्तावेज दिनांक 20.12.2021• को 11 महीने 20 दिन और वर्ष 2020-2021 के दस्तावेजों को 21.03.2022 को 02 महीने और 21 दिन के विलंब से सभा पटल पर रखे गए हैं। वीएमएच, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तारीखों के साथ-साथ विलंब की सीमा को दर्शाने वाला विवरण **<u>परिशिष्ट-दो</u>** में दिया गया है।

6. समिति ने वीएमएच, कोलकाता के वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलंब के कारणों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। संस्कृति मंत्रालय ने बताया किः

> " *आंतरिक लेखा-परीक्षक स्वतंत्र लेखा-परीक्षक होते हैं और सामान्यत: आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने तथा उनकी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लगभग 2 माह का समय लेते हैं और सीएजी उन्हें लेखा प्रस्तुत किए जाने की तारीख से अंतिम लेखा रिपोर्ट की प्रस्तुति तक लगभग 4 माह का समय लेता है।*
>
> *कई बार जब कार्यकारी एवं वित्त समिति/न्यासी बोर्ड की कोई बैठक बीच की अवधि में आयोजित नहीं की जा सकती थी, तब सदस्यों का अनुमोदन परिचालन आधार पर प्राप्त किया जाता है जिसमें बहुत अधिक समय लग जाता है। ऐसे परिदृश्य में, जो वीएमएच के नियंत्रण से बाहर है और गैर-पदेन न्यासियों की अपर्याप्त संख्या की बाध्यता के कारण 2015 से 2019 के बीच अनेक बार लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए आवश्यक सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयासों को क्षीण किया है।*"

• वर्ष 2021-22 के लिए आवश्यक दस्तावेज दिनांक 20.03.2023 को सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

7. यह पूछे जाने पर कि क्या दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने में हुआ विलंब इस बात का सूचक है कि संसद के समक्ष पत्रों को समय पर रखे जाने को उचित महत्व नहीं दिया गया और बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया, संस्कृति मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में, निम्नवत बताया: -

> *" संसद के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर प्रस्तुति के लिए सदैव प्रयास किए गए हैं परन्तु लेखाओं को तैयार करने के पश्चात विभिन्न चरणों जिनमें लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा, ई एंड एफसी/न्यासी बोर्ड द्वारा लेखाओं का अनुमोदन, सी एंड एजी की लेखापरीक्षा, ई एंड एफसी/न्यासी बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक कार्यकलाप रिपोर्ट का अनुमोदन शामिल है, के कारण संसद के समक्ष रिपोर्ट को रखने में विलंब हो जाता है।"*

8. समिति ने मंत्रालय से वीएमएच, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवोदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने और प्रत्येक चरण में मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक में लिए गए समय के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने को कहा। वीएमएच, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवोदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तारीखों को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-तीन** में दिया गया है।

9. समिति ने यह जानने की इच्छा वयक्त की कि क्या संस्कृति मंत्रालय और वीएमएच,कोलकाता ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन वर्षों के दौरान विलंब हुआ है, यदि हां, तो मंत्रालय ने भविष्य में विलंब को कम करने के लिए क्या प्रस्ताव किए हैं, मंत्रालय ने बताया कि:-

> *"वी.एम. अधिनियम में यथानिर्धारित एक चार्टर्ड एकाउटेंट फर्म द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन के पश्चात इसका आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षक, स्वतंत्र लेखा परीक्षक है और आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आम तौर पर लगभग 02 महीने का समय लगते है। इस समय को कम करके डेढ़ महीना किया जा सकता है।*
>
> *आंतरिक लेखा परीक्षा के पश्चात वार्षिक लेखों को कार्यकारी और वित्त समिति/न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कार्यकारी और वित्त समितिं की बैठक का आयोजन सदस्यों की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिसमें कुछ समय लगता है। जहां*

बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है, अनुमोदन परिचालन द्वारा प्राप्त कर सकते है।

न्यासी बोर्ड की बैठक का आयोजन वर्ष 2015 से वीएमएच के लिए चुनौती रही है। इसका यह कारण था कि न्यासी बोर्ड में 07 रिक्तियां (बोर्ड की कुल संरचना=14 सदस्य) थी और अध्यक्ष (माननीय पश्चिम बंगाल राज्यपाल) सहित बोर्ड में केवल 07 पदेन सदस्यों जिनमें कोई गैर पदेन सदस्य नहीं थे। इस कारण से कई बार निर्दिष्ट संख्या के अभाव में बोर्ड की निर्धारित बैठक नहीं हो सकी।

कभी-कभी इस बीच की अवधि में, जहां वीएमएच के नियंत्रण से बाहर प्रशासनिक कारणों से न्यासी बोर्ड की बैठक का आयोजन करने के लगातार प्रयास विफल रहे, सदस्यों का अनुमोदन परिचालन के माध्यम से प्राप्त करना पडा, जिसमें बहुत समय लगा। परिणामस्वरूप, इन वर्षों के वार्षिक लेखों, पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन में बहुत विलंब हुआ। अत: सीएजी को अनुमोदित लेखों के कार्यवृत्त प्रस्तुत करने में विलंब हुआ और इसके पश्चात एसएआर और वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन में विलंब के कारण मंत्रालय को दोनों सदनों में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

विलंब कम करने के लिए वार्षिक लेखों, पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और शीघ्रगामी बनाया जाना चाहिए।"

10. समिति ने संस्कृति मंत्रालय और वीएमएच, कोलकाता से यह भी जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या संगठन ने दस्तावेजों के हिंदी अनुवाद और बाद में, उनके मुद्रण के संबंध में किसी समस्या का सामना किया, संस्कृति मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया किः

" बहुत कम बार, प्रुफ को प्रस्तुत करने, डिजाइन करने और वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण करने में प्रिंटर के तरफ से विलंब होता है। भविष्य में, प्रिंटर की तरफ से विलम्ब को दूर करने के लिए, सामग्री की आपूर्ति के तारीख से मुद्रित प्रतियों के जमा होने तक उन्हें एक निर्धारित समय सीमा प्रदान की जायेगी, जिसको पूरा न कर पाने पर दण्डात्मक कदम उठाये जाएंगे और यह खण्ड निविदा सूचना में भी शामिल किया जाएगा। "

11. क्या संगठन के दस्तावेजों के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी की बैठक के आयोजन से कोई प्रक्रियात्मक कठिनाई जुड़ी है? यदि हाँ, तो उक्त का वर्णन करें। संस्कृति मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः

"वर्ष 2015 से वीएमएच के न्यासी बोर्ड की बैठक का आयोजन करना एक चुनौती रही है। इसका कारण यह था कि न्यासी बोर्ड में 7 रिक्तियां (बोर्ड की संरचना-14 सदस्य) थीं और जिसमें अध्यक्ष (माननीय राज्यपाल, पश्चिम बंगाल) के अलावा 7 पदेन सदस्य के साथ कोई गैर पदेन सदस्य नहीं था। इस कारण से कई बार निर्दिष्ट संख्या की कमी के कारण अनुसूचित बोर्ड का आयोजन नहीं हो सका।

कभी इस मध्यवर्ती अवधि में, जहां वीएमएच के नियंत्रण से परे प्रशासनिक कारणों से न्यासी बोर्ड की बैठक के आयोजन के लगातार प्रयास विफल रहें, सदस्यों के अनुमोदन को अंतिम उपाय के रूप में संचलन आधार के माध्यम से लेना पड़ा था, जो कि बहुत समय लेनी वाली प्रक्रिया बन गई। परिणामस्वरूप, इन वर्षों के लिए वार्षिक लेखा पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदन में काफी विलंब हुआ। इसलिए सीएजी को अनुमोदित लेखाओं के कार्यवृत्त को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ था और तत्पश्चात एसएआर और वार्षिक प्रतिवेदन के विलम्ब अनुमोदन के कारण मंत्रालय को संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।"

12. तत्पश्चात, समिति ने संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि क्या संगठन के पास लेखाओं के समयोचित संकलन को सुनिश्चित करने के लिए और लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र नहीं है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया किः

"वीएमएच के पास कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है और चार्टर्ड अकाउंटेट फर्म के द्वारा आन्तरिक लेखा परीक्षा की जाती है।"

13. समिति ने यह भी पूछा कि क्या संगठन या मंत्रालय द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं, को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने के लिए नियामक समय को दर्शाती कोई समय सारणी निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने बताया कि:-

*"**31** दिसम्बर तक प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए लेखाओं का कार्य पूरा करने, लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के सभा पटल पर रखने के लिए एक समय सीमा बनाई गई है।"*

14. समिति ने संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि क्या दस्तावेजों को सभा पटल पर समय से रखना सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में कार्य के प्रगति की निगरानी करने के लिए मंत्रालय में कोई तंत्र है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"प्रत्येक वर्ष मंत्रालय और संबंधित संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं ताकि संगठन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध निधियों का इष्टतम उपयोग किया जा सके और संगठन का समुचित कार्यकरण किया जा सके, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वार्षिक प्रतिवेदनों/वार्षिक लेखाओं को समय पर पूरा करना और सी एण्ड एजी के माध्यम से लेखा परीक्षा करना और मंत्रालय को पस्तुत करना शामिल है।मंत्रालय ईमेल/पत्र/दूरसंचार/बैठकों आदि के माध्यम से वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करता है।"

15. समिति ने मंत्रालय से पूछा कि क्या भविष्य में लेखांकन वर्ष की समाप्ति से नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है; मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया किः

"वार्षिक लेखा तैयार करने और आंतरिक लेखा परीक्षा करने के काम में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, कार्यकारी और वित्त समिति/न्यासी बोर्ड द्वारा लेखों का अनुमोदन, सी एण्ड एजी लेखा परीक्षा का आयोजन और कार्यकारी और वित्त समिति/न्यासी बोर्ड द्वारा अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समयबद्ध तरीके से फिर से अनुमोदन सहित अनुमोदन के कई चरण शामिल है, यह एक बडी चुनौती है।

यह प्रस्तावित है कि वार्षिक प्रतिवेदनों के मुद्रण के लिए चयनित प्रिंटर को वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं का प्रूफ प्रस्तुत करने और अंतिम रूप से मुद्रण

पूरा करने के लिए 01 महीने की अधिकतम समय सीमा दी जाए, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।''

16. यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वीएमएच के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब हाल की उत्पत्ति नहीं है। समिति ने पहले वर्ष 1991-1992 से 1995-1996 और फिर वर्ष 2002-2003 से 2014-2015 तक के वीएमएच के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच की थी और इस विषय पर क्रमशः 02.06.2000 और 17.01.2014 को मौखिक साक्ष्य लिया था। उन वर्षों में विलंब का मामला 10वें प्रतिवेदन (13वीं लोकसभा) और 6वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में भी परिलक्षित हुआ। हालांकि, दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में कोई सुधार नहीं देखा गया है, अतः समिति ने फिर से 2015-2016 से 2019-2020 के लिए विलंब के कारणों की जांच की।

17. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोकसभा) ने 20 दिसंबर, 2021 को संस्कृति मंत्रालय और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया ताकि वीएमएच, कोलकाता के वर्ष 2015-16 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच की जा सके।

18. मौखिक साक्ष्य के दौरान, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के प्रतिनिधि ने निम्नवत बताया:

''....विलंब होने का मुख्य कारण यह है कि हमारे पास केंद्रीय लेखापरीक्षा से पहले और बाद में दो चरणों में अनुमोदन लेना होता हैं। इसलिए, पहले, हम अपना लेखा तैयार करते हैं और फिर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म आंतरिक लेखापरीक्षा तैयार करती है। तत्पश्चात, केंद्रीय लेखा परीक्षा को बुलाने से पहले आंतरिक रूप से लेखापरीक्षित लेखाओं को कार्यकारी और वित्त समिति और फिर न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एक बार केंद्रीय लेखा परीक्षा हमें उनका एसएआर देता है, जिसमें लगभग साढ़े चार से 5 महीने लगते हैं, फिर वार्षिक लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदनों में मुद्रित होने से पहले, उन्हें फिर से कार्यकारी और वित्त समिति और न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना है। एक बार हमने सीओपीएलओटी के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। उस बैठक में प्राप्त सिफारिशों के अनुसार, हमने पहले से ही अपने आंतरिक लेखाओं और

आंतरिक लेखापरीक्षा को एक साथ करना शुरू कर दिया है। हम इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक कार्यसूची मद रखने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि केंद्रीय लेखापरीक्षा के दोनों ओर इस दो और दो के बजाय, हम चाहते हैं कि केंद्रीय लेखापरीक्षा को आमंत्रित करने से पहले या तो कोई अनुमोदन न हो या केवल एक और एक करके आदर्श रूप से, यह एजेंडा आइटम है जिसे रखा गया है।"

उन्होने यह भी बताया :

"....वर्ष 2020-21 के लिए, केंद्रीय ऑडिट पहले ही किया जा चुका है और प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। इसलिए, हम अंतिम ऑडिट रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में आएगी। फिर, हम सर्कुलेशन द्वारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मंजूरी मांगेंगे। हम इसे मुद्रित कर लेंगे और मार्च, 2022 तक जमा कर देंगे। जैसा कि आपने कहा, एक वर्ष के विलंब के औसत से, हम 2020-21 के लिए तीन महीने तक कम हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 से हम रफ्तार पकड़ेंगे ।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

19. समिति नोट करती है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता और संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) ने वित्तीय/लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर वीएमएच, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सदन के सभा पटल पर रखने के संबंध में भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (2017) के नियम 237 (iii) के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। समिति यह जानकर निराश है कि संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) ने भी इन दस्तावेजों को रखने में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया है। वर्ष 2015-16 के लिए वीएमएच के अपेक्षित दस्तावेज 11 महीने 18 दिनों के विलंब के साथ 18.12.2017 को, वर्ष 2016-17 के लिए 12 महीने 07 दिनों के विलंब के साथ 07.01.2019 को, वर्ष 2017-18 के लिए 11 महीने 09 दिनों के विलंब के साथ 09.12.2019 को ,वर्ष 2018-19 के लिए 13 महीने 13 दिन के विलंब के साथ 13.02.2021 को,वर्ष 2019-20 के लिए 11 महीने 20 दिनों के विलंब के साथ 20.12.2021 को और वर्ष 2020-21•• के लिए दस्तावेज2 महीने 21 दिनों के विलंब के साथ 21.03.2022 को सभा पटल पर रखे गए थे।

20. समिति नोट करती है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा वीएमएच के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब हाल ही में नहीं हुआ है। समिति ने 8 मई, 2002 को लोक सभा में प्रस्तुत अपने 10वें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक के वर्षों के लिए और पुनः16 मार्च 2016को लोक सभा में प्रस्तुत छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में वर्ष 2002-2003 से 2014-2015 तक के वर्षों के लिए वीएमएच के दस्तावेजों को सदन के सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले को नोट किया और इस पर विचार किया, जो वीएमएच के

•• वर्ष 2021-22 के लिए आवश्यक दस्तावेज दिनांक 20.03.2023 को सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

उक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने हेतु समय का अनुपालन करने में मंत्रालय की विफलता को सिद्ध करता है।

21. संगठन द्वारा यथा प्रस्तुत वीएमएच, कोलकाता के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच करते हुए समिति यह जानकर निराश है कि विलंब आंतरिक लेखा परीक्षा स्तर पर हुआ था। उनकी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 2 महीने का समय लगा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एफएआर) प्रस्तुत करने में लगभग 4 महीने लगे। इस उत्तर के अनुसार, कार्यकारी और वित्त समिति/न्यासी बोर्ड की नियमित अंतरालों पर बैठक नहीं बुलाए जाने और मंत्रालय तथा वीएमएच के बीच समन्वय की कमी के कारण विलंब और बढ़ गया है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय वीएमएच, कोलकाता के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सदन/संसद के सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित नहीं कर पाया है। अब से ये दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय को समस्त प्रयास करने की आवश्यकता है। समिति को इन निर्देशों के अनुपालन और भविष्य में विलंब से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से अवगत कराया जाए। समिति को आशा है कि मंत्रालय द्वारा यथा सूचित किए गए इन सभी प्रयासों के पश्चात्, भविष्य में वीएमएच, कोलकाता के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

22. समिति ने यह भी सिफारिश की है कि संस्कृति मंत्रालय को दी गई समय-सारणी के अनुसार प्रत्येक स्तर पर अपना कार्य पूरा करने की समय सीमा से एक सप्ताह पहले संस्थानों को सतर्क करने वाली स्वचालित सतर्कता प्रणाली स्थापित करके एक 'पोर्टल' तैयार करना चाहिए, जिससे उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा

पटल पर रखने के बारे में अद्यतन स्थिति/प्रगति सुनिश्चित की जा सके। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उसे सूचित किया जाए।

23. समिति मंत्रालय से यह आग्रह भी करती है कि अब से मंत्रालय को एक विवरण जारी करना चाहिए जिसमें कारणों को स्पष्ट किया जाए कि उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित अवधि के 30 दिनों के भीतर या सदन की बैठक होते ही ,जो भी बाद में हो ,सदन के सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>परिशिष्ट -एक</u>

<u>देखिए प्रतिवेदन का पैरा 03</u>

विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :

*(*लाख रुपए में)

वर्ष	योजना अनुदान	योजनेत्तर अनुदान	कुल
2016-17	361.00	734.00	1095.00

वर्ष	शीर्ष				
	वेतन	सीसीए	सामान्य	एसएपी-सामान्य	कुल
2017-18	810.00	0.00	683.13		1493.13
2018-19	846.45	0.00	1400.00	2.70	2246.45
2019-20	796.45	1500.00	1275.00	3.00	3574.45
2020-21	844.24	0.00	1500.00	1.20	2345.44

”.

<u>परिशिष्ट -दो</u>

<u>देखिए प्रतिवेदन का पैरा 05</u>

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि दर्शाने वाला विवरण

वित्त वर्ष	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथि	विलंब की सीमा
2015-2016	31.12.2016	18.12.2017	**11महीने 18 दिन**
2016-2017	31.12.2017	07.01.2019	**12 महीने 07 दिन**
2017-2018	31.12.2018	09.12.2019	**11 महीने 09 दिन**
2018-2019	31.12.2019	13.02.2021	**13 महीने 13 दिन**
2019-2020	31.12.2020	20.12.2021	**11 महीने 20 दिन**
2020-2021•	31.12.2021	21.03.2022	**02 महीने 21 दिन**

•• वर्ष 2021-22 के लिए आवश्यक दस्तावेज दिनांक 20.03.2023 को सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

<u>परिशिष्ट - तीन</u>

<u>देखिए प्रतिवेदन का पैरा 8</u>

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण

उप-प्रश्न	बिन्दु	वित्तीय वर्ष					
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
7 (i)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तारीख	01.06.2016 (आंतरिक लेखा-परीक्षक)	01.06.2017 (आंतरिक लेखा-परीक्षक)	01.06.2018 (आंतरिक लेखा-परीक्षक)	03.06.2019 (आंतरिक लेखा-परीक्षक)	06.08.2020 (आंतरिक लेखा-परीक्षक)	18.06.2021 (आंतरिक लेखा-परीक्षक)
	लेखापरीक्षा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लगा समय	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	4 माह	2 ½ माह
7(ii)	सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की तारीख	वीएमएच के वार्षिक लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (सेवा के कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के तहत संपरीक्षित हैं और उनकी वर्तमान तैनाती वित्तीय वर्ष 2022-23 तक मान्य है।					
	लेखा-परीक्षकों को नियुक्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के पश्चात लगा समय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7(iii)	वार्षिक लेखाओं के संकलन करने की तारीख	31.05.2016	31.05.2017	31.05.2018	31.05.2019	31.07.2020	15.06.2021
	लेखापरीक्षा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लगा समय	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	4 माह (कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित)	2 ½ माह
7(iv)	लेखा-परीक्षकों को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने की तारीख	22.11.2016	20.12.2017 (आंतरिक	22.01.2019 (आंतरिक	07.11.2019	07.12.2020	अनुमोदित वार्षिक लेखाओं

		(आंतरिक लेखापरीक्षा के पश्चात सी एंड एजी को प्रस्तुत करने तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के अनुमोदन की तारीख)	लेखापरीक्षा के पश्चात सी एंड एजी को प्रस्तुत करने तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के अनुमोदन की तारीख)	लेखापरीक्षा के पश्चात सी एंड एजी को प्रस्तुत करने तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के अनुमोदन की तारीख)	(आंतरिक लेखापरीक्षा के पश्चात सी एंड एजी को प्रस्तुत करने तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के अनुमोदन की तारीख)	((आंतरिक लेखापरीक्षा के पश्चात सी एंड एजी को प्रस्तुत करने तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के अनुमोदन की तारीख)	को 01.10.2021 को महालेखा परीक्षक कार्यालय में लेखापरीक्षा किए जाने के अनुरोध सहित प्रस्तुत कर दिया गया।
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लगा समय	7 ½ माह	8 ½ माह	9 ½ माह	7 ½ माह	8 ½ माह	
7(v)	सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की अवधि और तारीख	29.11.2016 से 02.01.2017 (<1 माह)	02.01.2018 से 25.01.2018 (1 माह)	04.02.2019 से 04.03.2019 (1 माह)	27.11.2019 से 30.12.2019 (<1 माह)	06.01.2021 से 04.02.2021 (1 माह)	
7(vi)	वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान/ के बाद लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं के पूरा होने के पश्चात लेखा-परीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की तारीख।	29.11.2016 से 02.01.2017	02.01.2018 से 25.01.2018	04.02.2019 से 04.03.2019	27.11.2019 से 30.12.2019	06.01.2021 से 04.02.2021	
	लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं के पूरा होने के पश्चात लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों हेतु उठाए गए प्रश्नों में लिया गया समय	1 ½ माह	1 -1 ½ माह	1 ½ माह	1 ½ माह	2 माह	
7(vii)	लेखा-परीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करने की तारीख	29.11.2016 से 02.01.2017	02.01.2018 से 25.01.2018	04.02.2019 से 04.03.2019	27.11.2019 से 30.12.2019	06.01.2021 से 04.02.2021	
	प्रश्नों का समाधान करने में लिया गया समय	1 ½ माह	1 -1 ½ माह	1 ½ माह	1 ½ माह	2 माह	
7(viii)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट	23.12.2016	13.02.2018	26.02.2019	29.01.2020	01.02.2021	

	जारी करने की तारीख						
	वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के बाद लगा समय	1माह	1 ½ माह	1 माह	<2 माह	1 माह	
7(ix)	संगठन द्वारा अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख	06.02.2017	26.03.2018	11.04.2019	18.03.2020	26.03.2021	
	मसौदा रिपोर्ट जारी करने के पश्चात लगा समय	1 ½ माह	1 ½ माह	1 ½ माह	1 ½ माह	2 माह	
7(x)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक लेखों की प्राप्ति से लेकर संगठन को अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने तक लिया गया कुल समय	2 ½ माह	3 ½ माह	2 ½-3 माह	4 ½ माह	4 माह	
7(xi)	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तारीख	06.02.2017	26.03.2018	11.04.2019	18.03.2020	26.03.2021	
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय; और	10 माह	11 ½ माह	12 ½ माह	11 ½ माह	11 ½ माह	
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात लगा समय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
7(xii)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज अनुमोदित किए जाने की तारीख	14.07.2017	05.10.2018	12.07.2019	01.07.2020	22.09.2021	
	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पश्चात लगा समय	5 ½ माह	6 ½ माह	3 माह	3 ½ माह	6 माह	
	अंतिम वार्षिक लेखा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात लगा समय	5 ½ माह	6 ½ माह	3 माह	3 ½ माह	6 माह	

7(xiii)	दस्तावेजों को अनुवाद एवं मुद्रण के लिए भेजे जाने की तारीख	18.05.2017	11.06.2018	10.04.2019	03.03.2020	24.08.2021	
	प्रत्येक चरण पर कार्य को पूरा करने में लगा समय	2 माह	4 माह	3 माह	8 ½ माह (कोविड महामारी में लॉकडाउन के कारण प्रिंटर द्वारा किया गया विलंब)	प्रिंटर के स्तर पर कार्य प्रगति पर है।	
7(xiv)	प्रत्येक चरण पर कार्य को पूरा करने के पश्चात सभापटल पर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय में भेजे जाने की तारीख	20.07.2017	12.10.2018	15.07.2019	28.12.2020	लंबित	
	संगठनों द्वारा मंत्रालय को दस्तावेज भेजने में लगा समय	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख से 6 दिन	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख से 7 दिन	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख से 3 दिन	5 माह (कोविड महामारी में लॉकडाउन के कारण प्रिंटर द्वारा किया गया विलंब)		
7(xv)	सभा पटल पर दस्तावेजों को रखे जाने की तारीख	18.12.2017 (लोक सभा) 20.12.2017 (राज्य सभा)	07.01.2019 (लोक सभा) 07.01.2019 (राज्य सभा)	09.12.2019 (लोक सभा) 10.12.2019 (राज्य सभा)	09.02.2021 (लोक सभा) 13.02.2021 (राज्य सभा)	लंबित	
	संगठन से दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात लगा समय	5 माह	3 माह	5 माह	1 ½ माह		

परिशिष्ट -चार

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की दिनांक 20/12/2021 को हुई चौथी बैठक के उद्धरण

समिति की बैठक सोमवार, 20 दिसंबर, 2021 को 1600 बजे से 1650 बजे तक समिति कक्ष "सी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
5. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

.6श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. श्रीमती मनजिंदर पब्बी - अवर सचिव

साक्षी

xx xx xx xx

संस्कृति मंत्रालय

1. सुश्री लिली पांडेय	-	संयुक्त सचिव
2. श्री अभिषेक नारंग	-	उप सचिव
3. श्री एस.सी.मंडल	-	अवर सचिव

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता

डॉ. जयन्त सेनगुप्ता	-	सचिव और क्यूरेटर, वीएमएच

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची के बारे में बताया।

3. से 11. **xx xx xx xx xx**

12. तत्पश्चात, समिति ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता, के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले को विचार करने के लिए लिया। संस्कृति मंत्रालय और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल (वीएमएच), कोलकाता के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया।

13. सभापति ने संस्कृति मंत्रालय और वीएमएच के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में बताया। सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में भी साक्षियों को बताया।

14. तत्पश्चात, सभापति ने वीएमएच के 2015-16 से 2019-20 के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में नियमित अंतराल पर किए गए विलंब के बारे में बताया। मंत्रालय के

प्रतिनिधि ने कहा कि वीएमएच के लेखाओं का केंद्रीय लेखा परीक्षा से पहले और बाद में दोनों समय कार्यकारी परिषद और वित्त समिति और फिर न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदन कराया जाता है जिसमें बहुत अधिक समय लगता है। प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने इस मामले को उठाया था और इसे न्यासी बोर्ड की अगली बैठक में उठाने का निर्णय लिया था। सभापति ने मुद्रण से संबंधित मामले के बारे में पूछा। प्रतिनिधि ने समिति को बताया कि अब मुद्रण और अनुवाद से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है और यह आश्वासन दिया कि 2020-21 के अपेक्षित दस्तावेजों को मार्च 2022 तक सभा पटल पर रख दिया जाएगा तथा आगामी वर्षों के दस्तावेजों को समय के भीतर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

15. श्री पल्लब लोचन दास, संसद सदस्य और समिति के सदस्य ने मंत्रालय/वीएमएच को अपनी व्यवस्था में सुधार करने और वांछित लक्ष्य हासिल करने के लिए एक समय-सारणी बनाने का सुझाव दिया।

16. तत्पश्चात, सभापति ने मंत्रालय/वीएमएच के प्रतिनिधियों को एक सॉफ्टवेयर तैयार करने का सुझाव दिया जिसमें उनके प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी संगठनों के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने से संबंधित अद्यतन स्थिति उन्हें उपलब्ध कराई जाए और विलंब की स्थिति में मंत्रालय द्वारा वीएमएच को एक स्वचालित अनुस्मारक भेजा जा सके। सभापति ने मंत्रालय और वीएमएच के प्रतिनिधियों को डेश बोर्ड/सॉफ्टवेयर तैयार करने के संबंध में समय-सारणी और कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा।

17. माननीय सभापति ने विषय की जांच के संबंध में निष्पक्ष और स्पष्ट विचार रखने के लिए मंत्रालय और वीएमएच के प्रतिनिधियों को धन्यवाद भी दिया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

समिति की बैठक की शब्दश: कार्यवाही की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

<u>परिशिष्ट-</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

16. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
17. श्री चौधरी मोहन जटुआ
18. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
19. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. x x x x x;
6. x x x x x;
7. x x x x x
8. x x x x x
9. x x x x x
10. x x x x x
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****